भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6429
दिनांक 02 अप्रैल, 2026

वैश्विक व्यवधानों के बीच एल.पी.जी. की सतत आपूर्ति

†6429. डॉ. अमर सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संबंधी व्यवधानों और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण देश में एल.पी.जी. के आयात और घरेलू उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) घरेलू उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ता श्रेणियों के बीच वितरण को विनियमित करने के उपायों सहित एल.पी.जी. आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश की एल.पी.जी. की आपूर्ति की स्थिरता को मजबूत करने और भविष्य में इस प्रकार की कमी को रोकने के लिए क्या पहल प्रस्तावित की गई हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) एवं (ख) भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% होर्मूज जलडमरूमध्य के माध्यम से किया जाता है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनैतिक संकट के दृष्टिगत देश में आयातित एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। सरकार ने एलपीजी आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई सक्रिय उपाय किए हैं। इनमें घरेलू एलपीजी खपत को प्राथमिकता देना, आयात स्रोतों का विविधीकरण, गतिशील स्टॉक प्रबंधन और स्थानीय कमी को दूर करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय आवंटन शामिल हैं।

एलपीजी के घरेलू उत्पादन के वर्तमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दिनाँक 9 मार्च 2026 को सभी तेल शोधन कंपनियों, जिनमें पेट्रोरसायन परिसर भी शामिल हैं, को निर्देश जारी किए हैं कि प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन और ब्यूटीन जैसे सी3 और सी4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीमों का सम्पूर्ण आउटपुट, का उपयोग विशेष रूप से एलपीजी उत्पादन के लिए किया जाए और इसकी आपूर्ति केवल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, एचपीसीएल एवं बीपीसीएल) को की जाए। इसके अलावा, रिफाइनरियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे इन स्ट्रीमों का उपयोग पेट्रोरसायन उत्पादों या किसी भी अन्य उत्पाद के निर्माण के लिए न करें। तेल विपणन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का

निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार उत्पादित एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को ही की जाए। इन पहलों के परिणामस्वरूप, घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है।

जबकि घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति प्रारम्भ में प्रभावित हुई थी। तदुपरान्त, सरकार ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 20% की आंशिक आपूर्ति शुरू की, जिसे बाद में बढ़ाकर कुल आवंटन 50% कर दिया गया, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों से संबंधित 10% भी शामिल है। इस आवंटन में रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इकाइयां, राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो एफटीएल सिलेंडर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। दिनाँक 14.03.2026 से 21.03.2026 तक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 15,440 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी का उठान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को 100% आपूर्ति मिलती रही है, जो कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन का लगभग 50% है।

इन उपायों के क्रम में, सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में अतिरिक्त 20% की वृद्धि की है, जिससे कुल आवंटन 27 मार्च को संकट-पूर्व स्तर का 70% हो गया है (जिसमें सुधार से संबंधित 10% घटक शामिल है)। इस अतिरिक्त आवंटन को श्रम-प्रधान और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रंगाई, रसायन और प्लास्टिक के लिए प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें प्रक्रिया उद्योगों और उन उद्योगों को विशेष वरीयता दी गई है जिन्हें विशेष तापन उद्देश्यों के लिए एलपीजी की आवश्यकता होती है, जहाँ प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन व्यवहार्य नहीं है।

इस अतिरिक्त 20% आवंटन के तहत आने वाली कम्पनियों को ओएमसी के साथ पंजीकरण और सीजीडी कम्पनियों को पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन से संबंधित मौजूदा शर्तों का पालन करना होगा, जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था। हालांकि, ऐसे मामलों में जहाँ एलपीजी का उपयोग विशेष प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है और जिसे प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, ऐसी आवश्यकताओं में छूट दी जा रही है।

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने राज्यों में वाणिज्यिक एलपीजी के तर्कसंगत और समान वितरण की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी निदेशक स्तर पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त 10% सुधार-संबंधी आवंटन का लाभ उठाने के लिए पीएनजी से संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है।

भारत सरकार ने नगर गैस वितरण (सीजीडी) कम्पनियों को सलाह दी है कि वे अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे रेस्तरां, होटल और कैंटीन को पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्रदान करने को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक आवेदनों की स्वीकृति में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

(ग) सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने और इस मध्यम से दीर्घकालिक अवधि के लिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। इस संबंध में, सरकार ने सभी केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में पीएनजी कनेक्शन की संभावित मांग का व्यापक आकलन करने और इस प्रक्रिया के समन्वय के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने सभी कार्यालयों को सीजीडी से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता देने और प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर उनका निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, देशव्यापी कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए शोधन क्षमता के विस्तार, एलपीजी आयात टर्मिनलों, पाइपलाइनों, बॉटलिंग संयंत्रों और भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। सरकार नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के विस्तार के माध्यम से ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, सौर, पवन, जैव ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा विकास पर जोर दिया जा रहा है, और सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू किया जा रहा है। आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा स्थिरता को बढ़ाने के लिए एथेनॉल मिश्रण और अन्य जैव ईंधनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय व्यवधानों या भू-राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्यनीतिक रूप से, एलपीजी आयात में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यनीति के अंतर्गत, पीएसयू ओएमसी ने हाल ही में वर्ष 2026 के लिए लगभग 2.2 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) अमेरिकी मूल की एलपीजी के आयात के लिए संविदा किए हैं, जो देश की कुल एलपीजी आयात आवश्यकता का लगभग 10% पूरा करता है। यह अरब खाड़ी क्षेत्र के बाहर एक विश्वसनीय वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति स्रोत स्थापित करके भारत की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
